भारत सरकार
विधि और न्याय मंत्रालय
न्याय विभाग
लोक सभा
तारांकित प्रश्न सं. *452
जिसका उत्तर बुधवार, 24 जुलाई, 2019 को दिया जाना है

त्वरित न्यायालय

***452. डॉ. मोहम्मद जावेद :**

कुमारी शोभा कारान्दलाजे :

क्या **विधि और न्याय** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने लंबित मामलों का शीघ्र निपटान करने हेतु राज्यों/संघ राज्यक्षेत्रों को त्वरित न्यायालयों(एफटीसी) की स्थापना करने हेतु कहा है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ;

(ख) क्या सरकार का देश में विशेषकर बिहार में और अधिक संख्या में त्वरित न्यायालयों की स्थापना करने का विचार है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; (ग) क्या कुछ राज्यो में त्वरित न्यायालयों की स्थापना नहीं की जा रही है, यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण है ;

(घ) न्यायिक प्रणाली को सुदृढ़ करने हेतु राज्यों को विगत पांच वर्षों के दौरान राज्य/संघ राज्यक्षेत्र-वार कितनी धनराशि आवंटित की गई है ; और

(ङ) क्या सरकार ने मुख्यमंत्रियों तथा मुख्य न्यायाधीशों के 2013 में हुए सम्मेलन के संकल्प के अनुसरण में, समाज में महिलाओं, बच्चों, भिन्न रूप से सक्षम व्यक्तियों, वरिष्ठ नागरिकों और हाशिये पर गये वर्गों से संबंधित मामलों का शीघ्र निपटान करने हेतु राज्यों को त्वरित न्यायालयों की स्थापना करने का निदेश भी दिया है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस पर राज्यों की क्या प्रतिक्रिया है ?

उत्तर

विधि और न्याकसंचार तथा इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री (श्री रविशंकर प्रसाद)

(क) से (ङ) : एक विवरण सदन के पटल पर रख दिया गया है ।

त्वरित निपटान न्यायालय से संबंधित लोक सभा तारांकित प्रश्न संख्या*452 जिसका उत्तर तारीख 24 जुलाई, 2019 को दिया जाना है के भाग (क) से (ङ) के उत्तर में निर्दिष्ट विवरण ।

(क) से (ग) और (ङ) : त्विरित निपटान न्यातयालयों(एफटीसी) की स्थाापना और निधियों का आबंटन करना राज्य0 सरकारों के अधिकास्क्षेत्र में आता है, जो संबद्ध उच्चल न्याकयालयों से परामर्श करके, अपनी आवश्यकता और संसाधनों के अनुसार, ऐसे न्यांयालयों की स्थांपना करती हैं । भारत के माननीय उच्चतम न्यायालय ने तारीख 19.04.2012 को बृजमोहन लाल और अन्य बनाम भारत संघ और अन्य के अपने निर्णय में , अन्य बातों के साथ, राज्यों को निदेशित किया था कि वे त्वरित निपटान न्यायालयों को तदर्थ और अस्थायी आधार पर जारी रखने का विनिश्चय नहीं लेंगे । उन्हें

(राज्यों को) या तो त्वरित निपटान न्यायालयों की स्कीम को समाप्त करने या राज्य में उसे एक स्थायी आकार के रुप में जारी रखने का विनिश्चय करने की आवश्यकता होगी। रिपोर्ट किए गए कार्यरत त्वरित निपटान न्यायालयों की राज्य -वार संख्या को उपदर्शित करने वाला एक विवरण **उपाबंध-1** के रुप में उपाबद्ध है।

वर्ष 2013 में आयोजित राज्यों के मुख्यमंत्रियों और उच्च न्यायालयों मुख्य न्यायमूर्तियों के सम्मेलन में यह संकल्प किया गया था कि राज्य सरकारें संबंधित राज्यों के मुख्य न्यायमूर्तियों के परामर्श से महिलाओं, बालकों, दिव्यांग व्यक्तियों, वरिष्ठ नागरिकों और समाज के सीमांत वर्गों के विरुद्ध अपराधों से संबंधित त्वरित निपटान न्यायालयों की समुचित संख्या में स्थापना करने और इन न्यायालयों के लिए सुसंगत अवसंरचना के साथ न्यायिक अधिकारियों और सहायक कर्मचारीवृंद के पदों का अनुमोदन करने के लिए शीघ्र कदम उठाएं। राज्य सरकारें इन त्वरित निपटान न्यायालयों के सृजन और इनकी निरन्तरता के प्रयोजन के लिए पर्याप्त निधि का उपबंध करेंगी।

तद्नुसार, राज्यों में न्यायिक प्रणाली को मजबूत करने के क्रम में, भारत संघ ने ऐसे जघन्यस अपराधों के मामले जिसमें वरिष्ठक नागरिकों, महिलाओं, बालकों, दिव्यांतगों और एचआईवी एड्स और आवधिक बीमारी से प्रभावित वादकारियों तथा सिविल विवादों, जिसके अंतर्गत पांच वर्ष से अधिक लंबित भूमि अर्जन और संपत्तिस/किराया विवाद भी अंतर्वलित हैं, के लिए 14 वें वित्त आयोग के उसके ज्ञापन के घटक के रुप में 4144 करोड़ रुपये की लागत से 1800 त्वरित निपटान न्यायालयों की स्थापना का प्रस्ताव किया था, उनके प्रस्ताव का समर्थन किया और राज्यत सरकारों से ऐसी अपेक्षाओं को पूरा करने के लिए 32% से 42% तक कर न्यागमन में आयोग द्वारा उपबंधित अतिरिक्तो राजकोषीय व्यवस्था का उपयोग करने का अनुरोध किया था, जिसका ब्यौरा **उपाबंध-2** के रुप में संलग्न है।

(घ) : वर्ष 2000-01 से वर्ष 2010-2011 तक 11 वर्षों की अवधि के दौरान राज्यब सरकारों को त्वररित निपटान न्यावयालयों के लिए870 करोड़ रुपये की रकम जारी की गई थी और **तारीख 31.03.2011** के पश्चात् केंद्रीय वित्तर पोषण समाप्ती कर दिया गया था। राज्योंो को त्वारित निपटान न्याघयालयों के लिए वर्ष2000-2001 से वर्ष 2010 – 2011 तक जारी किया गया केंद्रीय अनुदान **उपाबंध-3** पर दिया गया है। उच्चतम न्यासयालय द्वारा बृजमोहन लाल बनाम भारत सरकार के मामले में दिए गए निदेश के अनुसरण में अधीनस्थच न्याययपालिका में सृजित किए गए न्यारयाधीशों के 10 प्रतिशत अतिरिक्त पदों के लिए वेतन पर व्यायों को पूरा करने के लिए 13वें वित्त आयोग पंचाट से केंद्रीय सरकार ने **तारीख 31.03.2015** तक मैचिंग आधार पर प्रतिवर्ष अधिकतम 80 करोड़ रुपये की निधि प्रदान करने का विनिश्चरय किया था। राज्यय सरकारों और उच्चक न्या यालयों के न्याुयमूर्तियों से त्वशरित निपटान न्याायालयों के सृजन के लिए भी इन पदों का उपयोग करने का अनुरोध किया गया था। इसके अतिरिक्त, 14 वें वित्तय आयोग ने राज्योंए में न्यादयिक प्रणाली को सुदृढ़ करने के भारत संघ के प्रस्तावव का समर्थन करते समय, जिसमें अन्यो बातों के साथ, 1800 त्वतरित निपटान न्यातयालयों की स्थाशपना करने के लि्णाज्यि सरकारों को ऐसी अपेक्षाओं को पूरा करने के लिए 32% से 42% तक कर न्यागमन में आयोग द्वारा उपबंधित अतिरिक्त राजकोषीय व्यवस्था का उपयोग करने के लिए भी कहा था। संघीय सरकार ने राज्ये सरकारों के वित्तीरय वर्ष 2015-16 से

आगे उनके राज्या बजट से 14वें वित्त आयोग की सिफारिशों में उल्लिखित क्रियाकलापों के लिए निधि आवंटित करने का और 14वें वित्तर आयोग की सिफारिशों के प्रभावी क्रियान्वकयन के लिए राज्यआ सरकारों और न्या यपालिका के मध्यआ विद्यमान समन्व्य और मानीटरी क्रियाविधि को सुदृढ बनाने का अनुरोध किया था। पिछले पांच वर्षों के दौरान न्यायिक प्रणाली को सुदृढ बनाने के लिए 14वें वित्त आयोग की सिफारिशों के अनुसार राज्योंय द्वारा आवंटित निधियों के ब्यौढरे केंद्रीय सरकार के स्तवर पर नहीं रखे जाते हैं।

****

उपाबंध-1

लोक सभा तारांकित प्रश्न संख्या*452 जिसका उत्तर तारीख 24.07.2019 को दिया जाना है के भाग (क) से(ग) के उत्तर में निर्दिष्ट विवरण

क्र.सं.	राज्य / संघ राज्य-क्षेत्र का नाम	कार्यरत त्वरित निपटान न्यायालोंकी संख्या (31.03.2019 की स्थिति के अनुसार)
1.	आंध्र प्रदेश	21
2.	असम	03
3.	अरुणाचल प्रदेश	0
4.	मिजोरम	02
5.	नागालैंड	0
6.	बिहार	45
7.	छत्तीसगढ़	23
8.	दिल्ली	14
9.	गोवा	0
10.	महाराष्ट्र	77
11.	गुजरात	0
12.	हरियाणा	05
13.	पंजाब	0
14.	चंडीगढ़	0
15.	हिमाचल प्रदेश	0
16.	जम्मू - कश्मीर	0
17.	झारखंड	0
18.	कर्नाटक	0
19.	केरल और लक्षद्वीप	0
20.	मध्य प्रदेश	0
21.	मणिपुर	04
22.	मेघालय	0
23.	ओडिशा	0
24.	राजस्थान	0
25.	सिक्किम	02
26.	तमिलनाडु	50
27.	पुडुचेरी	0
28.	त्रिपुरा	03
29.	उत्तर प्रदेश	206
30.	उत्तराखंड	0
31.	पश्चिमी बंगाल तथा अंदमान और निकोबार	88
32.	तेलंगाना	38
33.	दमन और दीव	0
34.	दादर और नागर हवेली	0
कुल	**581**	

उपाबंध-2

लोक सभा तारांकित प्रश्न संख्या*452 जिसका उत्तर तारीख 24.07.2019 को दिया जाना है के भाग(घ) के उत्तर में निर्दिष्ट विवरण

14वें वित्त आयोग द्वारा समर्थित अनुदान सहायता के अधीन पांच वर्ष (2015-2020) की अवधि के लिए 1800 त्वरित निपटान न्यायालयों की स्थापना के लिएप्रस्तावित निधि

(करोड़ रुपए में)

क्र.सं.	राज्य का नाम	प्रस्तावित त्वरित निपटान न्यायालयों की संख्या	प्रस्तावित निधि
1.	आंध्र प्रदेश	47	108.21
2.	तेलंगाना	37	85.18
3.	असम	36	82.88
4.	अरुणाचल प्रदेश	0	0.00
5.	मिजोरम	07	16.12
6.	नागालैंड	03	6.91

7.	बिहार	147	338.43
8.	छत्तीसगढ़	28	64.46
9.	गुजरात	174	400.59
10.	हिमाचल प्रदेश	13	29.93
11.	जम्मू - कश्मीर	21	48.35
12.	झारखंड	50	115.11
13.	कर्नाटक	95	218.72
14.	केरल, लक्षद्वीप	41	94.39
15.	मध्य प्रदेश	133	306.20
16.	महाराष्ट्र, दादरा और नागर हवेली, दमण और दीव	204	469.67
17.	गोवा	05	11.51
18.	मणिपुर	03	6.91
19.	मेघालय	04	9.21
20.	ओडिशा	63	145.04
21.	पंजाब	50	115.11
22.	चंडीगढ़	02	4.61
	हरियाणा	48	110.51
23.	राजस्थान	93	214.11
24.	सिक्किम	01	2.3
25.	तमिलनाडु, पुडुचेरी	89	204.91
26.	त्रिपुरा	09	20.72
27.	उत्तर प्रदेश	212	488.08
28.	उत्तराखंड	28	64.46
29.	पश्चिमी बंगाल, अंदमान व निकोबार द्वीप	94	216.42
30.	दिल्ली	63	145.05
कुल		**1800**	**4144.11**

उपाबंध-3

लोक सभा तारांकित प्रश्न संख्या *452 जिसका उत्तर तारीख 24.07.2019 को दिया जाना है के भाग (ग) और (घ) के उत्तर में निर्दिष्ट विवरण

वर्ष 2000-01 से वर्ष 2010-11 तक त्वरित निपटान न्यायालयों के लिए राज्यों को जारी किया गया केंद्रीय अनुदान (रु. लाख में)

			न्याय विभाग द्वारा जारी केन्द्रीय अनुदान						
क्र.सं.	**राज्य का नाम**	**2000-01 से 2004-05 * तक जारी किया गया**	**2005-06**	**2006-07**	**2007-08**	**2008-09**	**2009-10**	**2010-11**	**कुल योग**
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	आंध्र प्रदेश	2250.00	550.50	412.80	412.80	142.40	-	1096.00	4864.50
2	अरुणाचल प्रदेश	52.69	19.20	14.40	14.40	14.40	14.40	14.40	143.89
3	असम	530.10	128.00	96.00	96.00	91.20	96.00	96.00	1133.30
4	बिहार	4766.40	960.30	720.00	720.00	720.00	720.00	720.00	9326.70
5	छत्तीसगढ़	791.10	198.40	129.60	129.60	148.80	148.80	129.60	1675.90
6	गोवा	125.10	32.00	24.00	24.00	19.20	14.40	24.00	262.70
7	गुजरात	3226.68	1062.80	1355.90	571.20	580.80	-	777.60	7574.98
8	हरियाणा	422.31	102.40	33.60	67.20	38.40	76.80	67.20	807.90
9	हिमाचल प्रदेश	108.59	57.60	43.57	0	38.40	43.20	43.20	334.56
10	जम्मू - कश्मीर	300.60	-	-	-	-	-	-	300.60
1 1	झारखंड	2319.30	569.80	226.00	190.17	249.60	196.80	192.00	3943.67
12	कर्नाटक	2431.80	595.40	610.80	230.40	182.40	446.40	441.60	4938.80
13	केरल	815.25	198.40	148.80	148.80	148.80	148.80	148.80	1757.65
14	मध्य प्रदेश	2223.90	422.50	215.40	259.80	312.00	316.80	316.80	4067.20
15	महाराष्ट्र	4352.40	1197.20	1101.60	782.40	417.60	412.80	537.60	8801.60
16	मणिपुर	90.00	12.80	9.60	9.60	9.60	9.60	9.60	150.80
17	मेघालय	90.00	19.20	14.40	0	28.80	-	28.80	181.20
18	मिजोरम	90.00	19.20	17.68	14.40	14.40	14.40	14.40	184.48
19	नागालैंड	54.90	12.80	18.18	9.60	9.60	9.60	9.60	124.28
20	ओडिशा	1866.60	262.40	196.80	158.40	158.40	168.00	168.00	2978.60
21	पंजाब	746.10	115.20	48.00	51.20	0	163.20	81.60	1205.30
22	राजस्थान	2238.05	531.40	753.64	398.40	398.40	398.40	398.40	5116.69
23	सिक्किम	29.70	-	-	-	-	-	-	29.70
24	तमिलनाडु	1151.90	313.70	235.20	235.20	0	470.40	235.20	2641.60
25	त्रिपुरा	73.80	19.20	3.80	0	0	11.56	0	108.36
26	उत्तर प्रदेश	6319.80	288.00	3075.69	495.52	1161.60	1161.60	1094.40	13596.61
27	उत्तराखंड	1173.60	1549.80	216.00	129.60	0	-	99.62	3168.62
28	पश्चिमी बंगाल	3972.60	761.80	571.20	571.20	571.20	571.20	571.20	7590.40
	कुल	42613.27	10000.00	*10292.66*	5719.89	5456.00	5613.16	7315.62	87010.60

*** वित्त मंत्रालय द्वारा वर्ष 2000-01 से वर्ष 2004-2005 तक राज्यों को जारी किया गया अनुदान**

****